बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

आदेश संख्या–02/रेगु०–03–900–16/2025– पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

बिहार में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर में पारंपरिक रूप से गन्ना की खेती की जाती है। वर्तमान में गन्ना से चीनी के उत्पादन के साथ–साथ इथनॉल एवं विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है।

2. राज्य में वर्तमान में कुल–10 चीनी मिलें कार्यरत हैं जबकि निजी, ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (बी.आई.सी.) ग्रुप एवं सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर कुल–09 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं।

3. गन्ना उद्योग विभाग का प्रोत्साहन पैकेज–2014, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2016 एवं इथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के माध्यम से इस प्रक्षेत्र में प्रोत्साहन का प्रयास किया गया परंतु इसके अपेक्षित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं।

4. राज्य में वर्तमान गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने एवं नये किसानों को गन्ना की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि की जाय। इस क्रम में राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार तथा नये चीनी मिलों की स्थापना की कार्रवाई अपेक्षित है।

5. राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त के आलोक में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

I	मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
II	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
III	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	–	सदस्य
IV	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
V	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	–	सदस्य सचिव
VI	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य
VII	इसके अतिरिक्त इस प्रक्षेत्र के राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को इस समिति में आमंत्रित/मनोनीत किया जा सकेगा।		

6. समिति द्वारा राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना तैयार किया जायेगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन दिनांक–25.11.2025 को मद संख्या–10 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(नर्मदेश्वर लाल)

प्रधान सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी, वित्त विभाग (ई–गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / विकास आयुक्त, बिहार / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग / उद्योग विभाग / सहकारिता विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–सभी विभाग / विभागाध्यक्षों / निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलें / बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन / बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स / सी० आई०आई०, पटना क्षेत्र / बिहार सुगर मिल ऐसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–ईखायुक्त, बिहार, पटना / सभी ईख पदाधिकारी / सभी विशेष ईख पदाधिकारी / सभी सहायक ईखायुक्त / बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 पटना, दिनांक नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2025 1807 पटना, दिनांक 26 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/25

प्रधान सचिव।